छात्रवृत्तियां प्रदान करती है। पिछले 3 वर्षों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:—

वर्ष	सांवितरित राशि (रुपए लाख में)
1993-94	शून्य
1994-95	शून्य
1995-96	15.89

उत्तर प्रदेश की नियमित शैक्षिक संस्थाओं में से दसवीं स्तर तक में पढ़ रहे अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है।

(ख) जी, हां। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मैट्रिकोत्तर छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही है, और अस्वच्छ व्यवसायों अर्थात् सफाई कर्मचारियों, चमड़ा उतारने तथा चमड़ा रंगने वालों से पारम्परिक रूप से जुड़े सफाई कर्मचारियों, खीपरों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:—

वर्ष	निम्नलिखित के अंतर्गत निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता	
	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना	मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना
	(कक्षा ग्यारह से आगे) दिवा छात्रों के लिए	कक्षा एक से दस तक तथा होस्टल वासियों के लिए कक्षा तीन से कक्षा दस तक
	(रुपए लाख में)	(रुपए लाख में)
1993-94	350.00	80.33175
1994-95	386.9588	166.3125
1995-96	1669.82	68.3497

विकलांग व्यक्तियों को उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना

1618. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विकलांग व्यक्तियों को उत्पीड़न और अत्याचार से बचाने और इसके लिए दोषी व्यक्तियों को दंड दिये जाने से संबंधित प्रावधान कब से लागू किया गया है;

(ख) यह प्रावधान किस अधिनियम के अन्तर्गत लागू किया गया है और कब से लागू किया गया है;

(ग) 1995-96 और 96-97 के दौरान उपरोक्त अधिनियम के अधीन राज्यवार कितने मामले पंजीकृत किये गये; और

(घ) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही और उत्पीड़ित व्यक्तियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) से (घ) केन्द्र सरकार ने विकलांग व्यक्तियों पर अत्याचार निवारण के लिए कोई विधान अधिनियमित नहीं किया है। तथापि, केन्द्र सरकार ने एक विधान अर्थात् निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को अधिनियमित किया है जिसे दिनांक 1.1.1996 को अधिसूचित कर दिया गया तथा जो दिनांक 7.2.1996 से लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विकलांगता वाले व्यक्तियों को उपलब्ध किए गए अधिकारों तथा सुविधाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने हेतु मुख्य आयुक्त को शक्तियां प्रदान करते हुए इस अधिनियम की धारा 58(ग) के अंतर्गत एक प्रावधान किया गया है।